सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 11.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस लाइन्स में शुक्रवार परेड की सलामी ली गयी तथा परेड के दौरान पुलिस कर्मियों/रिक्रुट आरक्षियों को शारीरिक रुप से फिट रहने हेतु दौड़ लगवाई गयी तथा अनुशासन व एकरूपता के लिए टोलीवार ड्रिल कराई गयी।

आज दिनांक 11-07-2025 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थगर डॉ. अभिषेक महाजन द्वारा पुलिस लाइन के परेड ग्राउण्ड में साप्ताहिक शुक्रवार परेड की सलामी ली गयी तथा परेड का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के पश्चात पुलिस कर्मियों/रिक्रुट आरक्षियों को शारीरिक रुप से फिट रहने हेतु दौड़ लगवाई गई व परेड के दौरान अनुशासन व एकरूपता के लिए टोलीवार ड्रिल कराई गयी तथा जेटीसी में मूलभूत सुविधाओं की रख रखाव व पुलिस लाइन परिसर की बेहतर साफ-सफाई हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। परेड के दौरान क्षेत्राधिकारी लाइन सहित लाइन्स के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

प्रेस नोट दिनांक 11.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆आँपरेशन कवच के अन्तर्गत गणित "एण्टी स्मलिंग ड्राइव टीम" में सम्मिलित थाना मोहाना पुलिस, कस्टम विभाग, सशस्त्र सीमा बल के साथ सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ककरहवा में भारत नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पैदल गश्त/चेकिंग किया गया।

डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में,मयंक द्विवेदी क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 11.07.2025 को आपरेशन कवच के तहत थाना मोहाना पुलिस, कस्टम विभाग, सशस्त्र सीमा बल के साथ थाना मोहाना क्षेत्रान्तर्गत ककरहवा भारत नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पैदल गश्त/चेकिंग किया गया तथा भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, एवं आपसी समन्वय बढ़ाने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के सम्बन्ध में वार्ता की गयी।

प्रेस नोट दिनांक 11.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆ **पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन ने जनता दर्शन में आये फरियादियों की समस्याएं/शिकायतों को सुना।**

आज दिनांक 11.07.2025 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन द्वारा पुलिस कार्यालय मे जनसुनवाई किया गया। जनसुनवाई मे कुल 10 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये जिसमे 04 भूमि विवाद व शेष 06 अन्य विवाद से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र थें। प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु संबंधित को आदेशित किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 11.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆ **साइबर जागरूकता / डिजिटल वॉरियर कार्यशाला के क्रम में क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा बुद्ध विद्यापीठ इंटर कॉलेज बर्डपुर में कार्यशाला का आयोजन कर छात्र-छात्राओं को जागरूक किया गया।**

डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "साइबर अपराध सुरक्षा जागरूकता अभियान" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व प्रशांत कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 11.07.2025 को मयंक द्विवेदी क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा बुद्ध विद्यापीठ इंटर कॉलेज बर्डपुर में छात्र-छात्राओं/डिजिटल वॉरियर को साइबर अपराध सुरक्षा के क्रम में जागरूकता अभियान के तहत जागरूक किया गया तथा अपना एटी.ए.एम. किसी को न दे, बैंकिंग ऐप का प्रयोग सावधानी से करें किसी भी अपरचित के साथ किसी प्रकार के ओ.टी.पी. का लेन देन न करें, अनजान नम्बर से आने वाले वीडियो काल को न रिसीव करें तथा डीप फेक, डिजिटल अरेस्ट जैसे गम्भीर मुद्दों पर अवगत कराया गया, हेल्पलाइन नंबर 1930 व साइबर क्राइम वेबसाइट www.cybercrime.gov.in **व अन्य साइबर अपराध के सम्बन्ध में जानकारी दी गई । इस दौरान थानाध्यक्ष मोहाना रोहित कुमार उपाध्याय, चौकी प्रभारी पप्पू कुमार गुप्ता तथा साइबर थाना से महिला आरक्षी शिप्रा मौर्या और आरक्षी विशाल तिवारी मौजूद रहे।**

प्रेस नोट दिनांक 11.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना मिश्रौलिया पुलिस द्वारा 01 वारण्टी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में व सुबेन्दु सिंह क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष मिश्रौलिया नरायन लाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में आज दिनांक 11.07.2025 **को थाना मिश्रौलिया पुलिस द्वारा सम्बन्धित वाद संख्या** 846/2020 **धारा** 323,504,427,452 **भादवि से सम्बन्धित 01 नफर वारंटी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।**

गिरफ्तार वारंटी का विवरणः-

01. **खद्दर उर्फ अयूब पुत्र मजिबुल्लाह साकिन गौरडीह टोला फकीरडीह थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।**

गिरफ्तार करने वाली टीम -

01. **उ**0**नि**0 **रामदरश यादव, थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।**
02. **का**0 **अनिल चौहान थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।**
03. **का**0 **अरविन्द कुमार थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।**

प्रेस नोट दिनांक 11.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना बांसी पुलिस द्वारा एक नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार

डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रशांत कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण मे व पवीन प्रकाश क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल निर्देशन एवं संतोष कुमार तिवारी प्रभारी निरीक्षक थाना बांसी के नेतृत्व में थाना बांसी पुलिस द्वारा आज दिनांक 11.07.2025 को मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा जारी गिरफ्तारी का वारण्ट वाद संख्या 2069/16 सरकार बनाम अम्बरीश दुबे, धारा-452/323/504 भा0द0वि0 में वारण्टी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार वारण्टी का विवरण-

01.अम्बरीश दुबे पुत्र स्वामीनाथ दुबे निवासी नरही थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01.उप निरीक्षक राजनाथ सिंह थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

02.का0 विकास वर्मा थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 11.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆ऑपरेशन कवच के अन्तर्गत गठित "एण्टी स्मगलिंग ड्राइव टीम" में सम्मिलित थाना कपिलवस्तु पुलिस द्वारा कस्टम विभाग, सशस्त्र सीमा बल के साथ सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कस्बा अलीगढ़वा में भारत नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पैदल गश्त/चेकिंग किया गया।

डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में, मयंक द्विवेदी क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 11.07.2025 को ऑपरेशन कवच के तहत थाना कपिलवस्तु पुलिस द्वारा कस्टम विभाग, सशस्त्र सीमा बल के साथ थाना कपिलवस्तु क्षेत्रान्तर्गत कस्बा अलीगढ़वा भारत नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पैदल गश्त/चेकिंग किया गया तथा भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, एवं आपसी समन्वय बढ़ाने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के सम्बन्ध में वार्ता की गयी।

प्रेस नोट दिनांक 11.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना भवानीगंज पर त्यौहार श्रावण मास को लेकर ग्राम प्रधान/धर्मगुरु/सम्भ्रांत व्यक्तियों/डीजे संचालक के साथ पीस कमेटी की गोष्ठी की गयी।

डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश पर व प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में तथा बृजेश कुमार वर्मा क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण एवं हरिओम कुशवाहा थानाध्यक्ष भवानीगंज के द्वारा आज दिनांक 11.07.2025 को मय फोर्स की उपस्थिति मे थाना स्थानीय पर ग्राम प्रधान/धर्मगुरु/सम्भ्रांत व्यक्तियों/डीजे संचालक के साथ पीस कमेटी की मीटिंग किया गया। उच्चाधिकारीगणो से प्राप्त आगामी त्यौहार से सम्बंधित आदेशो/निर्देशो का पालन करने हेतु अपील किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 11.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆ "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना शोहरतगढ़ पुलिस की प्रभावी पैरवी से चोरी के आरोपी को 01 वर्ष 10 माह अवधि के कारावास व ₹ 2,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 11-07-2025 को ST.N 31321/2023 मु0अ0सं0 178/2023 धारा-379,411 भा0द0वि0 मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश अनुभव कटियार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त मेराज पुत्र नसीर निवासी बेनीनगर थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर को 01 वर्ष 10 माह अवधि के कारावास व ₹ 2,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अजय कुमार गौतम तथा न्यायालय पैरोकार थाना शोहरतगढ़ आरक्षी उदय साहनी का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 11.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆ **"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना शोहरतगढ़ पुलिस की प्रभावी पैरवी से आर्म्स एक्ट के आरोपी को 01 वर्ष 10 माह अवधि के कारावास व ₹ 1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।**

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 11-07-2025 को ST.N **30807/2023 मु0अ0सं0 325/2023 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश अनुभव कटियार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त मेराज पुत्र नसीर निवासी बेनीनगर थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर को 01 वर्ष 10 माह अवधि के कारावास व ₹ 1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अजय कुमार गौतम तथा न्यायालय पैरोकार थाना शोहरतगढ़ आरक्षी उदय साहनी का सराहनीय योगदान रहा।**

प्रेस नोट दिनांक 11.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना उसका बाजार पुलिस की प्रभावी पैरवी से मार पीट के 03 आरोपीयों को न्यायालय उठने तक की अवधि व प्रत्येक को ₹ 2,000/-2,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ.अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 10.07.2025 को ST.N 523/2010 मु0अ0सं0 124/2008 धारा 323,504,506 भा0द0वि0 में थाना उसका बाजार पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री वकील, न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) एफटीसी/एसीजेएम जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त 01.दशरथ 02.श्यामबिहारी पुत्रगण सोमई मल्लाह 03-फुलमन उर्फ हुलमन पुत्र रामदास निवासीगण सेखुईया टोला चौवाहे घाट थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की अवधि व प्रत्येक को ₹ 2,000/-2,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी श्रीनिवास पासवान थाना उसका बाजार का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 11.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना उसका बाजार पुलिस की प्रभावी पैरवी से 01 आरोपी को न्यायालय उठने तक की अवधि व ₹ 1,500/-के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ.अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 10.07.2025 को ST.N 290/2013 मु0अ0सं0 620/2012 धारा 279,338,427 भा0द0वि0 में थाना उसका बाजार पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री वकील, न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) एफटीसी/एसीजेएम जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त 01.मोहन पाण्डेय पुत्र स्व0 राधेश्याम पाण्डेय निवासी बड़गो थाना खोराबार जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की अवधि व ₹ 1,500/-के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी श्रीनिवास पासवान थाना उसका बाजार का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 11.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆ **“आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना शोहरतगढ़ पुलिस की प्रभावी पैरवी से मार पीट के 02 आरोपीयों को जेल में व्यतीत की गई अवधि के कारावास व प्रत्येक को ₹ 3,250/-3,250/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।**

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 09-07-2025 को ST.N **701930/1998 मु0अ0सं0 29/1998 धारा-323,325,336,504 भा0द0वि0 मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश अनुभव कटियार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त 01.दशरथ पुत्र डाढू 02.रामविलास पुत्र सोमन निवासी रमवापुर तिवारी थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर को जेल में व्यतीत की गई अवधि के कारावास व प्रत्येक को ₹ 3,250/-3,250/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अजय कुमार गौतम तथा न्यायालय पैरोकार थाना शोहरतगढ़ आरक्षी उदय साहनी का सराहनीय योगदान रहा।**

प्रेस नोट दिनांक 11.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆जनपदीय पुलिस द्वारा त्यौहार श्रावण मास व जनपद में शांति व्यवस्था के दृष्टिगत अपने-अपने सर्किल/थाना क्षेत्रो में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पॉट व उसके आस-पास के क्षेत्रों में पैदल गश्त/चेकिंग किया गया।

◆आमजन से संवाद स्थापित कर लोगों से आपस में सौहार्द बनाये रखने की अपील की गयी।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में आज दिनांक 11.07.2025 को जनपद के क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा त्यौहार श्रावण मास व शांति व्यवस्था के दृष्टिगत अपने-अपने सर्किल/थाना क्षेत्रो में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पॉट व उसके आस-पास के क्षेत्रों में पड़ने वाले भीड़-भाड़ वाले स्थानों के पर पैदल गश्त/चेकिंग किया गया तथा आमजनमानस में सुरक्षा का एहसास कराते हुये जनसंवाद स्थापित किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 11.07.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆ "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से मार पीट के आरोपी को जेल में व्यतीत की गई अवधि के कारावास व ₹2,000/-के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 10-07-2025 को ST.N 700090/1999 मु0अ0सं0 28/1997 धारा-323,504 भा0द0वि0 मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश अनुभव कटियार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त मुन्नी लाल उर्फ मुन्नुलाल पुत्र श्रीराम निवासी करीमनगर थाना व जनपद सिद्धार्थनगर को जेल में व्यतीत की गई अवधि के कारावास व ₹2,000/-के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अजय कुमार गौतम तथा न्यायालय पैरोकार थाना सिद्धार्थनगर आरक्षी दुर्गेश गुप्ता का सराहनीय योगदान रहा।